



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

ई-मेल/Mail : registrar @mgahv.in

क्रमांक : 006/Estt./Gen./2007/Vol.II/ 1983

दिनांक : 08.09.2023

कार्यालयादेश

पूर्व में जारी कार्यालयादेश क्रमांक 006/Estt./Gen./2007/Vol.II/1979 दिनांक 08.09.2023 को अधिक्रमित करते हुए महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में दिनांक 09.09.2023 से 10.09.2023 तक आयोजित "अखिल भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद" के 60वें अधिवेशन के अंतर्गत आवश्यक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 09.09.2023 (शनिवार) एवं दिनांक 10.09.2023 (रविवार) को कुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय, परीक्षा विभाग, स्थापना एवं प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, भंडार एवं क्रय विभाग, परिसर विकास विभाग, लीला विभाग, जनसंपर्क कार्यालय तथा राजभाषा कार्यालय अन्य कार्यालयीन कार्यालयीय दिवसों की भांति खुले रहेंगे।

कर्मि उक्त अवकाश के एवज में भविष्य में अपनी सुविधानुसार सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर प्रतिपूरक अवकाश ले सकेंगे।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ खान)

कुलसचिव

08/09/23

प्रतिलिपि ((संज्ञानार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु) :

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. वित्ताधिकारी कार्यालय
4. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय
5. परिसर विकास विभाग
6. भंडार एवं क्रय विभाग
7. जनसंपर्क कार्यालय
8. राजभाषा कार्यालय
9. लीला : वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

08/09/23